CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

UPPSC मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन

अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र

पेपर I-VI

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पी.सी.एस.) परीक्षा

2018 से 2023 के **पेपर I से VI** का हल, संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित

निबंध एवं **अनिवार्य हिंदी** के हल प्रश्न-पत्र के साथ

UPPSC मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन

अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र

पेपर I-VI

**उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पी.सी.एस.)
मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-I, II, III, IV, V, VI तथा
निबंध एवं अनिवार्य हिंदी की अध्यायवार प्रस्तुति**

- पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर को मॉडल हल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नों को हल करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि उत्तर सारगर्भित हों तथा पूछे गए प्रश्नों के अनुरूप हों।
- इस पुस्तक में प्रश्नों से संबंधित अन्य विशिष्ट जानकारियों को भी उत्तर में समाहित किया गया है, ताकि अभ्यर्थी इसका उपयोग न सिर्फ हल प्रश्न-पत्र के रूप में, बल्कि अध्ययन सामग्री के रूप में भी कर सकें।
- इस पुस्तक का उपयोग अभ्यर्थी अपनी उत्तर लेखन शैली में सुधार लाने तथा प्रश्नों की प्रवृत्ति व प्रकृति को समझने के लिए भी कर सकते हैं।

संपादक
एन. एन. ओझा

हल
क्रॉनिकल संपादकीय समूह

CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

अनुक्रमणिका

- यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा-2023 सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-I 1-9
- यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा-2023 सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II 10-18
- यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा-2023 सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III 19-32
- यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा-2023 सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-IV 33-45
- यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा-2023 सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-V 46-56
- यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा-2023 सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-VI 57-66
- यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा-2023 निबंध 67-76
- यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा-2023 अनिवार्य हिंदी 77-80

सामान्य अध्ययन 1-168

प्रथम प्रश्न-पत्र

- भारतीय संस्कृति.....3
- आधुनिक भारत का इतिहास.....8
- स्वतंत्रता संग्राम एवं स्वातंत्र्योत्तर भारत.....12
- विश्व का इतिहास.....13
- भारतीय समाज.....15
- प्राकृतिक संसाधन.....25
- भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल.....28

द्वितीय प्रश्न-पत्र

- भारतीय संविधान.....35
- केंद्र राज्य संबंध.....39
- कार्यपालिका और न्यायपालिका.....42
- शासन व्यवस्था.....56
- अन्तरराष्ट्रीय एवं द्विपक्षीय संबंध.....61

तृतीय प्रश्न-पत्र

- सामाजिक आर्थिक विकास.....72
- कृषि विकास.....77
- औद्योगिक विकास.....80
- आधारभूत संरचना.....85
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी.....88
- पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी.....96
- आन्तरिक व बाह्य सुरक्षा.....102

चतुर्थ प्रश्न-पत्र

- नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति.....110
- केस स्टडी.....145

उत्तर प्रदेश विशेष

- पेपर-V.....151
- पेपर-VI.....157

निबंध 169-202

- साहित्य और संस्कृति.....171
- सामाजिक क्षेत्र.....176
- राजनैतिक क्षेत्र.....180
- विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी.....187
- आर्थिक क्षेत्र.....187
- कृषि उद्योग एवं व्यापार.....190
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम.....193
- राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं.....198

अनिवार्य हिंदी 203-288

- अवबोध एवं प्रश्नोत्तर.....205
- संक्षेपण.....226
- सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र.....235
- उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग.....255
- विलोम शब्द.....261
- वाक्यांश के लिए एक शब्द.....264
- वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि.....268
- लोकोक्ति एवं मुहावरे.....273

❖◆❖◆❖

यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा–2023

सामान्य अध्ययन

प्रश्न-पत्र-I

खण्ड- अ

1. वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए।

उत्तर: 'वैदिक साहित्य' शब्द का अर्थ वेदों पर आधारित या उनसे प्राप्त साहित्य है। इसमें वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रन्थ, अरण्यक और उपनिषद् शामिल हैं। यह प्राचीन भारतीय समाज, धर्म और दर्शन को समझने हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

- लगभग 1500 ईसा पूर्व – 500 ईसा पूर्व में मौखिक रूप से रचित और प्रसारित, वेदों को सबसे पुरानी जीवित इंडो–यूरोपीय साहित्यिक कृति माना जाता है।
- वैदिक संहिता – इसको चार भागों में बांटा गया है:
- **ऋग्वेद:** सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित वेद, जिसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति के लगभग 1017 सूक्त शामिल हैं।
  - ✧ **यजुर्वेद:** पुजारियों द्वारा प्रयुक्त यज्ञ सूत्रों और मंत्रों का संग्रह।
  - ✧ **सामवेद:** अनुष्ठानों के दौरान जाप करने के लिए मन्त्रों का एक संग्रह।
  - ✧ **अथर्ववेद:** विभिन्न उपचारों हेतु और बुराई को दूर करने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए मंत्रों का संकलन।
- **ब्राह्मण:** ब्राह्मण प्राचीन हिंदू ग्रंथ हैं जिनमें चार वेदों के मंत्रों और भजनों की व्याख्या है।
- **अरण्यक:** इस शब्द का अर्थ है 'जंगल' और इन्हें 'वन ग्रंथ' कहा जाता है जो मुख्य रूप से जंगलों में रहने वाले साधुओं और विद्यार्थियों के लिए लिखे गए हैं।
- **उपनिषद:** 'उपनिषद' का शाब्दिक अर्थ है' किसी के पास बैठना'। वे शिक्षकों (गुरुओं) और छात्रों (शिष्यों) के बीच दार्शनिक संवाद और प्रवचनों के अभिलेख हैं।

महत्व

- यह भारत के प्राचीन इतिहास, संस्कृति, और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह दर्शन, धर्मशास्त्र, और भाषाविज्ञान के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह विश्व के प्राचीनतम साहित्यों में से एक है, और इसमें मानव सभ्यता के प्रारंभिक विचारों का वर्णन है।

2. आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर: सर सैयद अहमद खान ऐसे महान् मुस्लिम समाज सुधारक और भविष्यद्रष्टा थे, जिन्होंने शिक्षा के लिए जीवन भर प्रयास किया एवं इनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा प्रगति और सशक्तिकरण की कुंजी है। इन्होंने लोगों को पारंपरिक शिक्षा के स्थान पर आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया तथा विभिन्न पहलों के माध्यम से सक्रिय रूप से इसका समर्थन किया।

- मुसलमानों में वैज्ञानिक–चेतना निर्माण तथा पश्चिमी ज्ञान को भारतीयों की अपनी भाषा में उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने 1863 में 'साइंटिफिक सोसाइटी' की स्थापना की। इन्होने कई शैक्षिक पुस्तकों का अनुवाद प्रकाशित किया तथा उर्दू एवं अंग्रेजी में द्विभाषी पत्रिका निकाली।
- 1875 में, उन्होंने अलीगढ़ में मुहम्मदन एंग्लो–ओरिएंटल कॉलेज (MAOC) की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) बना।
- उन्होंने एएमयू को आधुनिक शिक्षा के केंद्र के रूप में देखा, जहां मुसलमान अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जुड़े रहते हुए विज्ञान, साहित्य और कला में ज्ञान प्राप्त कर सकते थे।
- इन्होने प्रचलित सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और महिलाओं की शिक्षा की वकालत की। लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की और शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के विचार को बढ़ावा दिया।
- इन्होंने यूरोपीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्ययन का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि कुरान और प्राकृतिक विज्ञान के बीच कोई बुनियादी विरोधाभास नहीं है।

1889 में प्रकाशित पम्पलेट "पब्लिक एजुकेशन इन इण्डिया" में सर सैय्यद अहमद खान ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के अंदर छुपी हुई योग्यताओं को बाहर लाना और उसे राष्ट्र एवं समाज निर्माण के उपयोग में लाना है। अत: स्पष्ट है की आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान महत्वपूर्ण रहे है।

3. स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका पर चर्चा करें।

उत्तर: ब्रिटिश भारत एकमात्र क्षेत्र नहीं था। 560 से अधिक रियासतें, जो ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन स्वशासित थीं, इसके साथ–साथ अस्तित्व में थीं। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने इन राज्यों को भारत, पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया। सरदार वल्लभभाई पटेल ने आजादी के बाद भारत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां उनके योगदान का विवरण दिया गया है:

यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा–2023

सामान्य अध्ययन

प्रश्न-पत्र-II

खण्ड- अ

1. प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है?

उत्तर: संविधान का दर्शन, उस अंतर्निहित दार्शनिक विचारधारा को संदर्भित करता है, जो प्रस्तावना के भीतर व्यक्त या निहित है। यह उन मौलिक विचारों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने संविधान के प्रारूपण को आकार दिया और उस समाज और सरकार के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान किया जिसे वह स्थापित करना चाहता है।

प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन

- **परिचय और मूल सिद्धांत:** भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उन मूल्यों और आदर्शों को दर्शाता है जिन पर भारत गणराज्य स्थापित है। यह प्रस्तावना भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में गरिमा और अवसर की समानता प्रदान करती है।
- **मूल्यांकन के लिए आधार:** प्रस्तावना संविधान के प्रावधानों और सरकार के कार्यों के मूल्यांकन के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है।
  - ✧ किसी भी कानून या सरकारी पहल का मूल्यांकन प्रस्तावना में निहित आदर्शों के आधार पर किया जा सकता है, यह देखने के लिए कि क्या यह संविधान की मूल दृष्टि के अनुरूप है।
- प्रस्तावना एक परिचयात्मक कथन के रूप में कार्य करती है जो भारतीय संविधान के सार और आकांक्षाओं को समाहित करती है। इसीलिए इसे संविधान की आत्मा, कुंजी या दर्शन कहा जाता है।

2. 42वें संशोधन को भारतीय संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है?

उत्तर: 42वें संशोधन को भारतीय संविधान का पुनः लेखन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे महत्वपूर्ण और व्यापक परिवर्तन किए गए थे। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लागू किया गया यह संशोधन, संविधान के मूल स्वरूप में इतने अधिक बदलाव लेकर आया कि इसे 'लघु-संविधान' भी कहा जाता है।

42वें संशोधन द्वारा संविधान में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित है:

- भारतीय संविधान के संशोधन में भारत का वर्णन "संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य" के रूप में किया गया है, लेकिन प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा किए गए परिवर्तन ने इसे "संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" में बदल दिया।
- संसद की शक्तियों को वृद्धि की और इसे संविधान की सर्वोच्च संस्था बना दिया। इसने संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार दिया, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं।
- मौलिक अधिकारों की सूची में बदलाव किए गए। इसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया।
- इस संशोधन ने आपातकालीन प्रावधानों को मजबूत किया। इसने राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने और मौलिक अधिकारों को निर्लंबित करने का अधिकार दिया।
- 42वें संशोधन ने न्यायपालिका की शक्तियों को कम किया। इसने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित किया और संसद को न्यायिक निर्णयों को पलटने का अधिकार दिया।
- 7वीं अनुसूची भाग, राज्य के विषय, शिक्षा, वन, वजन और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण की सुरक्षा, और न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति) को केंद्र और समवर्ती सूचियों में स्थानांतरित किया गया।
- 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया तथा पांच विषयों शिक्षा, वन, वजन और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया।
- स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 51ए के अंतर्गत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए।

42वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इन बदलावों ने संविधान की मूल संरचना को बदल दिया और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। 42वें संशोधन को 'मिनी कॉन्स्टीट्यूशन' या 'लघु-संविधान' भी कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान में कई बड़े बदलाव किए थे।

यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा–2023

सामान्य अध्ययन

प्रश्न-पत्र-III

खण्ड- अ

1. खाद्य प्रसंस्करण और सम्बंधित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीतियों का मूल्यांकन कीजिये।

उत्तर: खाद्य प्रसंस्करण, कच्चे कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है जो भोजन को सुरक्षित, अधिक पौष्टिक, अधिक स्वादिष्ट, और अधिक टिकाऊ बनाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (FPI) महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह किसानों, उपभोक्ताओं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां शुरू की हैं। इन नीतियों का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, खाद्य हानि को कम करना और भारत को खाद्य उत्पादों के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है।

मुख्य नीतियां

- **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY):** यह योजना खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, बुनियादी ढांचे के विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI):** यह योजना कुछ निर्दिष्ट खाद्य उत्पादों के उत्पादन पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- **मेक इन इंडिया:** यह पहल भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखती है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है।
- **कृषि आधारित उद्यमों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS):** यह योजना किसानों और उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए ऋण प्राप्त करने में सहायता करती है।
- **राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2020:** यह नीति खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है।

परिणाम

- पिछले कुछ वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हुई है और मौजूदा इकाइयों ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

खाद्य प्रसंस्करण नीतियों के प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

- **किसानों की आय में वृद्धि:** खाद्य प्रसंस्करण किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है।
- **रोजगार सृजन:** यह क्षेत्र रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोग कार्यरत हैं।
- **खाद्य हानि में कमी:** बेहतर प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाओं से फसल के बाद होने वाली हानि को कम करने में मदद मिलती है।
- **मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्माण:** खाद्य प्रसंस्करण मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्माण करके कृषि उत्पादों से अधिक आय प्राप्त करने में मदद करता है।

नकारात्मक प्रभाव

- **जटिल नीतियां:** कुछ नीतियां जटिल और बोझिल हो सकती हैं, जिससे उनका लाभ उठाना मुश्किल हो जाता है।
- **बुनियादी ढांचे की कमी:** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विकसित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज, भंडारण और परिवहन सुविधाओं जैसे बेहतर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है।
- **कुशल श्रमिकों की कमी:** इस क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की कमी है, जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है।
- **कृषि उपज की उच्च लागत:** कृषि उपज की उच्च लागत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर सकती है।

सुझाव

- नीतियों को सरल और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है।
- बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार को अधिक निवेश करने की आवश्यकता है।
- कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने की आवश्यकता है।
- कृषि उपज की लागत को कम करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है।
- अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देकर खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में सुधार करने की आवश्यकता है।
- किसानों और उद्यमियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मजबूत विपणन और प्रचार अभियान चलाने की आवश्यकता है।

यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा–2023

सामान्य अध्ययन

प्रश्न-पत्र-IV

खण्ड- अ

1. नैतिक अन्तर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं? लोकसेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है?

उत्तर: नैतिक अन्तर्दृष्टि से तात्पर्य किसी स्थिति के नैतिक पहलुओं को देखने और समझने की क्षमता से है। यह एक ऐसी शक्ति होती है जिसमें मनुष्य किसी कर्म के उचित या अनुचित होने का साक्षात ज्ञान परिणाम पर विचार किये बिना प्राप्त कर लेता है। नैतिक अन्तर्दृष्टि के माध्यम से स्वत: एवं साक्षात रूप से यह ज्ञान हो जाता है कि सत्य बोलना उचित है। इसके लिए किसी तर्क या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कांट के अनुसार नैतिक अन्तर्दृष्टि व्यावहारिक बुद्धि है और इसके नियम ही नैतिक मानदण्ड हैं।

लोक सेवकों के लिए नैतिक परिस्थितियों में सहायक

- **नैतिक दुविधा के समय नैतिक निर्णय लेने में सहायक:** वर्तमान परिस्थितियों में लोक सेवकों के बढ़ते कार्यक्षेत्र के कारण प्राय: उन्हें नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस समय लोक सेवक अपनी नैतिक अन्तर्दृष्टि का प्रयोग कर नैतिक निर्णय ले सकता है साथ ही नैतिक अन्तर्दृष्टि नैतिक दुविधाओं की पहचान करने में भी सहायक होती है।
- **सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी को बनाये रखने में सहायक:** लोक सेवकों को उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी जैसे नैतिक गुणों को बनाये रखने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नैतिक अन्तर्दृष्टि उचित एवं अनुचित का ज्ञान कराकर लोक सेवकों के उच्च नैतिक प्रतिमानों को सुदृढ़ करने में सहायता करती है।
- **विश्वास को बनाये रखने में सहायक:** जब लोक सेवक सही निर्णय लेते हैं तो सामान्य लोगों का विश्वास लोक सेवा के प्रति बढ़ता है। लोक सेवक नैतिक अन्तर्दृष्टि से जन आकांक्षाओं के अनुरूप उचित निर्णय के द्वारा विश्वास बनाये रख सकता है।
- **प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने में सहायक:** नैतिक अन्तर्दृष्टि लोक सेवकों को सरकार आम लोग एवं निजी क्षेत्रों के बीच समन्वय बनाकर उचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है।
- **जनआकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक:** लोक सेवक नैतिक अन्तर्दृष्टि के माध्यम से सामान्य लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के पक्ष में नैतिक निर्णय ले सकता है। यह सही एवं गलत के निर्णय का साधन है।

जब लोक सेवक को अपना कार्य अपने विवेक के अनुसार करना पड़ता है तब नैतिक अन्तर्दृष्टि ही उसकी दुविधा का निवारण करती है एवं लोक सेवक में उच्च नैतिक प्रतिमानों को स्थापित करती है।

2. सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए।

(अ) सेवा भाव

(ब) दृढ़ विश्वास का साहस

उत्तर: (अ) सेवा भाव

- सेवा भाव वह मन:स्थिति है जिसमें कार्य किसी लाभ या स्वार्थ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता बल्कि इस भावना के साथ किया जाता है कि इसे करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।
- सिविल सेवा में इसका अर्थ है वेतन और सुविधाओं पर विशेष ध्यान न देते हुए इस भाव से काम करना कि अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए कैसे किया जाए। सेवा भाव सिविल सेवा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
- आडवे टीड के अनुसार ''प्रशासन एक नैतिक कार्य है तथा लोक सेवक नैतिक अभिकर्त्ता'' सिविल सेवा में सेवा की भावना इस सोच पर आधारित नही है कि मैं समाज को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहा हूं बल्कि इस सोच पर आधारित है कि समाज के लिए कार्य करके मैं स्वयं को बेहतर बना रहा हूं। इसमें यह भावना कार्य करती है कि मैं जो कुछ हूं समाज के कारण हूं, इसलिए समाज के प्रति कार्य करना प्रमाणिक जीवन जीने की शर्त है।
- सिविल सेवा में इसकी प्रासंगिकता इसलिए भी है कि इससे कमजोर वर्गों, सुभेद्य वर्गों, महिलाओं, बच्चों इत्यादि के कल्याण में वृद्धि होती है। लोक सेवा में सेवा भाव सार्वजनिक सेवाओं की तृणमूल पहुंच सुनिश्चित करता है।

(ब) दृढ़ विश्वास का साहस

- वर्तमान में भूमण्डलीकरण के युग में सिविल सेवा के बदलते स्वरूप के कारण विभिन्न प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक चुनौतियां सिविल सेवा में उपस्थित हो गई है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए दृढ़ विश्वास का साहस होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है किसी दूरगामी तथा कठिन उद्देश्य की प्राप्ति होने तक धैर्य तथा आंतरिक प्रेरणा बनाये रखना।

यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा–2023

सामान्य अध्ययन

प्रश्न-पत्र-V

खण्ड- अ

1. उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उसके कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

उत्तर: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 राज्यों के महाधिवक्ता का प्रावधान करता है। केन्द्र में जो भूमिका महान्यायवादी की होती है, राज्यों में वही भूमिका महाधिवक्ता की है। उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक पदाधिकारी है।

- **नियुक्ति की प्रक्रिया:** संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। राज्यपाल उसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य हो अर्थात वह भारत का नागरिक हो तथा किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक विधिक कार्य में संलग्न हो।

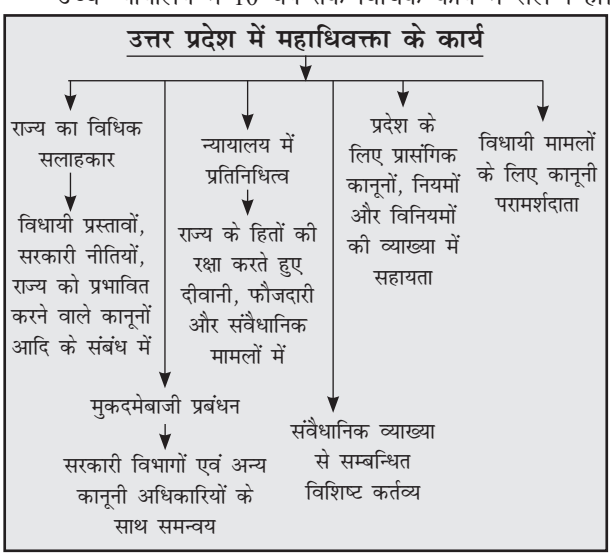

उत्तर प्रदेश में कभी-कभी महाधिवक्ता की नियुक्ति आलोचनाओं से घिर जाती है जैसे-

- महाधिवक्ता की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है अत: यह पद वर्तमान में राजनीतिक पद माना जाने लगा है।
- इसकी नियुक्ति की कोई परिभाषित पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है।
- कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि महाधिवक्ता सत्तारूढ़ दल के विचारों के विपरीत है तो या तो उसे इस्तीफा देना होता है या उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। इससे इसकी स्वायत्तता पर प्रश्नचिह्न लगता है।
- महाधिवक्ता अपना पद राज्यपाल के प्रसादपर्यंत धारण करता है। अत: सरकार बदलने पर प्राय: नये महाधिवक्ता का चयन होता है। इसे कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त नहीं है।

महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। इसका पद राज्य में कानून का शासन स्थापित करने में अति आवश्यक है। वर्तमान में महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल एवं पद की निष्पक्षता को अधिक पारदर्शी एवं संवैधानिक मूल्यों के अनुसार बनाने की आवश्यकता है।

2. उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए, राज्य की राजनीति में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए।

उत्तर: उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। राज्य पूरे देश में सबसे अधिक विधान सभा सीटों (403) तथा सबसे अधिक लोकसभा सीटों (80) वाला राज्य भी है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार की जातिगत एवं धार्मिक सामाजिक संरचनाएं पायी जाती हैं तथा इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आये। जैसे- समाजवादी पार्टी, अपना दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल इत्यादि।

क्षेत्रीय दलों की प्रकृति

- **क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व:** उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल अलग-अलग क्षेत्रों में अपने क्षेत्र विशेष की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे- राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहां की समस्याओं को उजागर करता है।
- **जातिगत आधार पर गठन:** उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों का गठन अधिकतर जातिगत आधार पर हुआ है। जैसे- निषाद पार्टी मछुआरों को एकजुट कर राजनीतिक लाभ लेने के लिए सक्रिय है या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी एक जाति विशेष का ही प्रतिनिधित्व करती है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रीय दल भी जातिगत आधार लिए हुए हैं।
- **व्यक्ति विशेष पर केन्द्रित:** उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल किसी व्यक्ति विशेष पर ही केन्द्रित है तथा वही व्यक्ति ही पूरे दल का सर्वाच्च होता है। जैसे- समाजवादी पार्टी मुख्यत: मुलायम सिंह यादव, बहुजन समाज पार्टी मायावती, सुभासपा ओमप्रकाश राजभर इत्यादि नेताओं पर ही केन्द्रित रही है।

यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा–2023

सामान्य अध्ययन

प्रश्न-पत्र-VI

खण्ड- अ

1. उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति, 2019 राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों को कैसे मजबूती प्रदान करती है?

उत्तर: उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी कृषि उत्पादक राज्य है। राज्य के कृषि उत्पादन के विपणन एवं किसानों की आय दोगुनी करने के संदर्भ में कृषि निर्यात नीति एक महत्वपूर्ण कदम है –

- **कृषि निर्यात नीति के उद्देश्य**– इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य की कृषि उत्पादन निर्यात क्षमता को बढ़ाना एवं 2024 तक निर्यात को दोगुना करना एवं किसानों की आय सुनिश्चित करना है।
  - ✧ इसमें मूल्य शृंखला को बढ़ाने एवं खेत से गंतव्य तक बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि निर्यात नीति में महत्वपूर्ण प्रावधान–

- **निर्यात केन्द्रों की स्थापना**– इसमें विशिष्ट फसलों के लिए समर्पित निर्यात केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- **क्षमता का निर्माण**– इस नीति में किसानों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया गया है। जिससे वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें एवं वैश्विक मांग एवं आपूर्ति के अनुरूप कृषि उत्पादों का उत्पादन कर सकें।
- **गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणन**– वैश्विक मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप उत्पादों को प्रमाणित करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। आगरा में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला और प्रमाणन केन्द्र आलू के उत्पाद को वैश्विक मानक के अनुरूप प्रमाणित करने की व्यवस्था प्रदान करता है।

राज्य में कृषि निर्यात पर प्रभाव–

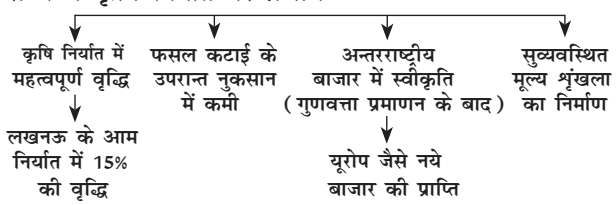

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात 2019 की नीति के कारण उत्तर प्रदेश अपनी निर्यात क्षमता का दोहन अच्छी तरह से कर रहा है। विश्व में राज्य के कृषि उत्पादों को नये बाजार की प्राप्ति हो रही है तथा किसानों की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है।

2. उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर: उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर– यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश निवेश समिट में की गयी। रक्षा गलियारा (कॉरिडोर) एक मार्ग या पथ को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम द्वारा रक्षा उपकरणों के घरेलु उत्पादन के साथ-साथ रक्षा बलों हेतु उपकरण/परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट इन 6 नोड्स को देखते हुए यह योजना बनायी गयी है, जो उत्तर प्रदेश के मध्य, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र में फैली है और दिल्ली-कोलकाता को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ एक्सप्रेस वे के नेटवर्क से भी जुड़ी है।

उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की विशेषताएं–

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में इज आफ डूइंग बिजनेस को आसन बनाने के लिए 'निवेश मित्र' पोर्टल लॉन्च किया गया है।
- निवेश मित्र के माध्यम से रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण ईकाईयों को एकल खिड़की अनुमोदन और मंजूरी।
- जलापूर्ति और निर्बाध बिजली आपूर्ति का आश्वासन।
- लचीली रोजगार स्थितियों के लिए रक्षा एवं एयरोस्पेस उद्योगों के लिए श्रम परिमट।
- प्रोत्साहन और सब्सिडी की आसान प्रतिपूर्ति के साथ सरल प्रक्रियाएं और तर्कसंगत नियामक व्यवस्था।
- बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे और दिल्ली झांसी मार्ग से जुड़े 4-लेन हेवी-ड्यूटी राजमार्ग से साथ कनेक्टिविटी।
- मेक इन इंडिया पहल के साथ रक्षा का 70% स्वदेशीकरण हासिल करना।

3. उत्तर प्रदेश में निचली गंगा नहर प्रणाली की मुख्य विशेषताएं और महत्व क्या हैं?

उत्तर: निचली गंगा नहर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गयी है। इसका निर्माण कार्य 1872 में प्रारंभ होकर 1873 में समाप्त हुआ। इस नहर द्वारा बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर और प्रयागराज जिलों की लगभग 4-5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती हैं।

यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा–2023

अनिवार्य हिंदी

1. निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

हमारा सांसारिक जीवन एक न एक दिन खत्म होगा ही लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारी देह एक मशाल है जो निरंतर संसार को, समाज को आलोकित कर उसका मार्गदर्शन कर सकती है। यानी हमारा यह जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए, समाज के लिए हमें एक कर्मठ एवं ओजस्वी जीवन का अभिलाषी होना चाहिए। हमें असहाय, निर्बलों का संबल बनना चाहिए, हमारा संपूर्ण सांसारिक जीवन किसी उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति में व्यतीत होना चाहिए कि हम इस संसार से जाए तो लोग हमें स्मरण कर सकें। हमारे जीवन का लक्ष्य सत्कर्म है और सत्कर्म हमारी देह के माध्यम से ही हो सकता है।

हम हमारे कार्यों को अपनी देह के संचालन के द्वारा ही तो संपादित करते हैं। यदि हमारे कार्य इतने संकीर्ण हों, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हों तो फिर देह हमारे घर में जल रहे एक दीपक की तरह ही होगी जिसके प्रकाश का लाभ केवल हमें ही मिलेगा। किंतु यदि हम लोकहित के कार्यों में संलग्न हैं तो समझिए कि हमारी देह एक मशाल की तरह है जिसकी रोशनी से दूसरे न केवल प्रभावित हैं बल्कि प्रेरित भी हैं। मशाल में वह ताकत है कि दूसरों में उत्साह भर कर अन्य मशालों को आमंत्रित कर सकती है और अन्याय – उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध का, आजादी का, नये परिवर्तन का प्रकाश फैला सकती है।

क) उपरिलिखित गद्य का आशय अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर: मानव जीवन नश्वर है, किन्तु इसके द्वारा संपादित कर्म चिरस्थायी है जो सदैव समाज का पथ-प्रदर्शन करते हैं, इसलिए हमें कर्तव्यपूर्ण जीवन चुनना चाहिए। हमें सदैव समाज के सीमांत एवं कमजोर वर्गों और व्यक्तियों के जीवन के उन्नयन हेतु प्रयासरत रहना चाहिए, जिससे हमारा नाम हमारे जीवन के बाद भी बना रहे। हमारे जीवन का उद्देश्य विशद् है जो सद्कर्म पर आधारित हैं। हमें तुच्छ लक्ष्यों के स्थान पर विशाल सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को चुनना चाहिए। हमें अपने जीवन को मशाल स्वरूप बनाना चाहिए जो स्वयं को जलाकर पथप्रदर्शन करती है।

ख) 'जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए' से क्या अभिप्रेत है?

उत्तर: 'जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए' से अभिप्रेत है कि जीवन सदैव उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, हमें अपना जीवन लोक कल्याण हेतु समर्पित करना चाहिए, जिससे मानवरूपी जीवन के उद्देश्य को सफल बनाया जा सके। अपने जीवन के कार्यों के माध्यम से हमें समाज को प्रेरित करना चाहिए, जिससे अन्य लोग भी सामाजिक बुराइयों एंव कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास कर सके।

ग) गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए।

उत्तर: हमारी देह ---------- प्रकाश फैला सकती है। प्रस्तुत रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या है कि हमारा जीवन उस मशाल की तरह है जो स्वयं को जलाकर तिमिर का नाश करती है, ठीक वैसे ही हमें अपने सत्कर्मों के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत, असमानता, उत्पीडन आदि से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित करना चाहिए तथा इन सामाजिक बुराइयों का समाज से उन्मूलन करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए।

2. नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है क्योंकि यह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिक नियमों में चरित्र-निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है और उन्हें माननेवाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता महज इसलिए नहीं मानी जाती कि पूर्वज भी ऐसा मानते आए हैं, बल्कि वह इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसके पीछे न्याय, पवित्रता, औचित्य व दृढ़ता होती है। नैतिकता आत्म-चेतना से प्रेरित होती है। रूढ़ियां तो तर्कपूर्ण नहीं होती, किंतु नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन-मूल्य होते हैं जिनके अनुसार वे तर्कों का निर्माण कर लेते हैं। नैतिकता रूढ़ियों व जनरीतियों की अपेक्षा स्थायित्व लिए रहती हैं। नैतिकता का एक और अर्थ हो सकता है, जिसका संबंध एक समूह - विशिष्ट से होता है, जैसे, डॉक्टरों की नैतिकता, प्राध्यापकों की नैतिकता आदि। यह आचारशास्त्र के निकट है। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। नैतिक सिद्धांतों का परिपालन धर्म के भय के कारण होता है, क्योंकि बहुत से नीति-नियमों की उत्पत्ति धर्म से बतलायी गयी है। भारत में कर्म, पुनर्जन्म एवं स्वर्ग-नरक की अवधारणाएं धर्म द्वारा प्रतिपादित हैं। ये अवधारणाएं सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होती हैं। यदि व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं करता है तो उसको अपराधी माना जाता है, जबकि धर्म का पालन न करने पर वह पाप का भागी बनता है। आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार के नैतिक व्यवहारों की प्रकृति धार्मिक हो।

उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए:

(क) गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए।

उत्तर: शीर्षक- नैतिकता एवं धर्म